निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 669) पटना, शुक्रवार, 20 जुलाई 2018

विधि विभाग

अधिसूचना

19 जुलाई 2018

बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018

सं० एल0जी0-06-01/2011(खण्ड)56/जे०—**प्रस्तावना:**- चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि (सी0भी0सी0एफ0) दिशानिर्देश, 2016 दिनांक-06.07.2016 से लागू कर दिया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राज्यों को, समय-समय पर, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में संशोधन करने हेतु निदेश दिया गया है इसलिए बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।- (1) यह स्कीम बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका 2 में संशोधन ।- (1) कंडिका 2 में प्रयुक्त कोष्ठक एवं अंक ''(1)'' को विलोपित किया जायेगा।

(2) उप कंडिका (छ:) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा: -

''परंतु कोई घटना, जो इस स्कीम के लागू होने के पूर्व घटित हुई हो, के पीड़ित को इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए एक पीड़ित समझा जायेगा यदि उसका/उसकी उपचार अथवा पुनर्वास अथवा दोनों, दंड प्रक्रिया की धारा-357(ए)(2) या (3) के अधीन निदेशित

करने वाले न्यायालय के अभिमत में अथवा जिला अपराध क्षति प्रतिकर बोर्ड की अनुशंसा पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अभिमत में, अभी भी आवश्यक हो।''

(3) उप कंडिका (ज) के बाद निम्नलिखित उप कंडिका (झ) जोड़ी जायेगी–

''(झ)" जिला अपराध क्षति प्रतिकर बोर्ड'' से अभिप्रेत है अध्यक्ष के रूप में जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन अथवा जिले का सी0एम0ओ0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति को मिलाकर एक बोर्ड।

3. उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका-3 में संशोधन ।–

(1) कंडिका-3 के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द ''पीड़ित प्रतिकर निधि'' के पूर्व शब्द ''राज्य'' जोड़ा जायेगा।

(2) कंडिका-3 की उप कंडिका-2 के खंड (घ) के बाद खंड (ड़) एवं (च) जोड़ी जाएगी:-

''(ड़) केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि से प्राप्त अनुदान।''

''(च) न्यायालयों द्वारा अधिरोपित लागत और पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा करने हेतु निदेशित की गयी राशि''

4. उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका-3 के बाद निम्नलिखित कंडिका 3क अंतस्थापित की जायेगी:-

''3क जिला पीड़ित प्रतिकर निधि''।–(1) सभी जिलों में एक निधि गठित की जायेगी जिसमें उस जिले के न्यायालयों द्वारा अधिरोपित लागत और पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा करने हेतु निदेशित राशि जमा की जायेगी।

(2) धारा-357ए (6) के अंतर्गत पीड़ित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किये गये सभी खर्च इस निधि से किये जायेंगे।

(3) अधिकतम राशि, जो एक समय में इस खाते में रखी जायेगी 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपये होगी और अधिशेष राशि तत्काल राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि के खाते में अंतरित कर दी जायेगी।

(4) यह निधि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष द्वारा दी गई मंजूरी से प्रचालित की जायेगी।

5. **उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका 5 में संशोधन।**– (1) कंडिका-5 की उप कंडिका (1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''अधीन'' के बाद शब्द एवं अंक ''प्रपत्र-1 में'' जोड़े जायेगे।

(2) कंडिका-5 की उप कंडिका (1) के परंतुक की चौथी पंक्ति प्रयुक्त शब्द ''भुगतान किया जायेगा।'' के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा:-

''प्रतिकर की अवशेष राशि, यदि कोई हो, द्वितीय किस्त की भुगतान की तिथि से तीन माह के भीतर दी जायेगी।''

(3) कंडिका-5 की उप कंडिका-2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।-

''(2) जिले का जिला अपराध क्षति प्रतिकर बोर्ड नुकसान अथवा हानि के संबंध में दावा, दावेदार की पात्रता, प्रतिकर की मात्रा और घटना के प्रतिवेदन में अथवा दावा दायर करने में विलम्ब और माफी के बारे में भी जाँच और सत्यापित करेगा तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार उक्त अनुशंसा पर प्रतिकर के दावा/दावों भुगतान के संबंध में एक आदेश पारित करेगा। प्रतिकर की मात्रा पीड़ित को हुई हानि, उपचार में उपगत होने वाले चिकित्सा खर्च तथा पुनर्वास के लिए आवश्यक न्यूनतम भरण पोषण राशि अनुसूची-1 में यथोउल्लिखित न्यूनतम राशि के अध्ययधीन विनिश्चित की जायेगी।

6. उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका-9 के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा:-

''स्पष्टीकरण।– एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष ऐसे अपील के संबंध में सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे।''

7. उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका-9 के बाद निम्नलिखित कंडिका-9क अत:स्थापित की जायेगी:-

''9क. वित्तीय जवाब देही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा के बोर्ड से एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक वैधानिक लेखा परीक्षा की जायेगी। प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण राज्य सरकार के समक्ष लाया जायेगा।''

8. उक्त स्कीम, 2014 की कंडिका-10 के बाद निम्नलिखित कंडिका-10क अंत: स्थापित की जायेगी:-

''10क. बार-बार पूछे जानेवाले सुसंगत प्रश्नों के साथ-साथ बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के सभी कार्यकलापों से संबंधित सूचना विधि विभाग, बिहार सरकार के बेवसाईट पर अपलोड की जायेगी।

9. उक्त स्कीम, 2014 की अनुसूची-1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

अनुसूची-1

क्र0	**दुर्घटना/पीड़ित का वर्णन**		**न्यूनतम मुआवजा की राशि**	**अधिकतम मुआवजा की**
1.	तेजाब हमला	1. चेहरे का विकृत होने पर	3 लाख रूपया	7 लाख रूपया
		2. 50 प्रतिशत से अधिक दुर्घटना	3 लाख रूपया	7 लाख रूपया
		3. 50 प्रतिशत से कम जख्म (चेहरे की विकृति को छोड़कर)	3 लाख रूपया	5 लाख रूपया
2.	बलात्कार	1. जहाँ पीड़ित अल्पव्यस्क या शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो।	3 लाख रूपया	7 लाख रूपया
		2. अन्य मामलों में	3 लाख रूपया	5 लाख रूपया
3.	अल्पव्यस्कों का शारीरिक शोषण		2 लाख रूपया	3 लाख रूपया
4.	मानव व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास		1 लाख रूपया	2 लाख रूपया
5.	यौन हमला (बलात्कार को छोड़कर)		50 हजार रूपया	1 लाख रूपया
6.	मृत्यु		2 लाख रूपया	3 लाख रूपया
7.	स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या उससे अधिक)		2 लाख रूपया	4 लाख रूपया
8.	आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)		1 लाख रूपया	2 लाख रूपया
9.	25 प्रतिशत से ज्यादा शारीरिक क्षति जलन द्वारा (तेजाब हमले को छोड़कर)		2 लाख रूपया	4 लाख रूपया
10.	भ्रूण हानि		50 हजार रूपया	1 लाख रूपया
11.	प्रजनन क्षमता की हानि		1.5 लाख रूपया	2 लाख रूपया

अभ्युक्ति:-

(1) यदि पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम हो तो उपर्युक्त प्रतिकर राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) तेजाब हमला के मामले में जहाँ पीड़ित एक लड़की या औरत हो और जिसमें 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आँख की रौशनी खो दी हो अथवा उसका चेहरा स्थाई रूप से विकृत हो गया हो और प्रतिकार के मामले में वहाँ पीड़ित अंधी अथवा विकलांग हो और एकमुश्त राशि के प्रबंध करने की स्थिति में न हो, एक मुश्त राशि के बदले जिला अपराध क्षति प्रतिकर बोर्ड पीड़ित के जीवन भर के लिए अथवा किसी अन्य अवधि के लिए जिसे उचित समझा जाय एक नियत राशि जो प्रतिमाह 10,000/- (दस हजार) से अधिक न हो

प्रतिकर के रूप में भुगतान करने की अनुशंसा कर सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।

10. उक्त स्कीम, 2014 की अनुसूची-1 के बाद निम्नलिखित प्रपत्र-1 जोड़ा जायेगा:-

प्रपत्र-1

बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

1.	पीड़ित आवेदक या उसका/उसकी/उनके आश्रित का नाम	
2.	पीड़ित आवेदक या उसका/उसकी/उनके आश्रित की आयु	
3.	(क) पिता का नाम (ख) माता का नाम (ग) पति या पत्नी का नाम	
4.	पीड़ित आवेदक या उसका/उसकी/उनके आश्रित का पता	
5.	घटना की तारीख एवं समय	
6.	क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है, यदि हाँ तो प्राथमिकी की प्रति संलग्न की जाय, यदि नहीं तो वस्तुस्थिति बतायी जाय।	
7.	क्या चिकित्सीय परीक्षण हुआ है यदि हाँ तो मेडिकल रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करे।	
8.	विचारण की स्थिति, यदि लंबित हो या निष्पादित हो तो न्याय निर्णय या आदेश की प्रति संलग्न की जाय।	
9.	क्या आवेदक को किसी विचारण न्यायालय या किसी सरकारी ऐजेंसी द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें।	
10.	वित्तीय खर्चो/हुई क्षति का विवरण दें।	
11.	क्या आपके द्वारा अपराध के आरोपित के खिलाफ सिविल वाद/दावा किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	

पीड़ित या आश्रित का हस्ताक्षर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के प्रभारी सचिव ।

19 जुलाई 2018

संख्या-एल0जी0-06-01/2011(खण्ड) 56/जे० दिनांक 19 जुलाई 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के प्रभारी सचिव ।

The 19th July 2018

Bihar Victim compensation (Amendment) Scheme, 2018

सं० एल0जी0-06-01/2011(खण्ड)56/जे०**—Preamble:-** Whereas the Home Ministry, Govt. of India has applied Central Victim Compensation Fund (C.V.C.F) Guidelines 2016 from dated 06.07.2016 and the direction has been given by the Hon'ble Supreme Court to the States also, from time to time to amend the victim compensation scheme therefore, it is necessary to amend the Bihar Victim Compensation Scheme, 2014.

Now, therefore, in exercise of The Powers conferred by section 357A of The Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Bihar is hereby please to make the following scheme to amend The Bihar Victim Compensation Scheme, 2014:-.

1. *Short title extent and commencement.*—(1) This scheme may be called Bihar Victim Compensation (amendment) Scheme, 2018.

(2) It shall extent to the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in para 2 of the said scheme, 2014.*—(1) The bracket and the number "(1)" used in para 2 is here by deleted.

(2) The following proviso shall be added in sub para (g):-

"Provided that victim of an occurrence which took place before date of enforcement of this Scheme shall be deemed to be a victim for getting benefit under this Scheme if his/her treatment or rehabilitation or both is still required in the opinion of the court making reference U/S. 357(A) (2) or (3) of Cr.P.C. or in the opinion of the concerned District Legal Services Authority on recommendation of District Criminal Injury Compensation Board."

(3) After sub para (h), The following sub para (i) shall be added:-

"(i). "District Criminal Injury Compensation Board" means a Board consisting of the District Judge as its Chairman and District Magistrate, Superintendent of Police and the Civil Surgeon or CMO of the district or their nominee as members."

3. *Amendment in para 3 of the said scheme, 2014.*—(1) The word "State" shall be added before the words 'Victim Compensation Fund' used in heading of para 3.

(2) The following sub clauses (e) and (f) shall be added after sub-clause (d) of sub para (2) of para 3:-

"(e) the grant received from Central Victim Compensation Fund.

(f) Amount of cost imposed by courts and directed to be deposited in victim compensation fund."

4. *The following Para 3A shall be inserted after Para 3 of the said scheme, 2014:-*

"3 A. District victim compensation fund.- (1) A fund shall be constituted in all districts in which costs imposed by courts of that district and directed to be deposited in The Victim Compensation Fund shall be credited.

(2) All expenses made in providing immediate first aid facility to victims in accordance with section 357 A (6) shall be made out of this fund.

(3) Maximum amount which may be kept in this account at a time shall be Rs.-2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand) and the excess amount shall immediately be transferred to the account of State Victim Compensation Fund.

(4) This fund shall be operated by the Secretary, DLSA on sanction made by Chairman of the concerned DLSA."

5. *Amendment in para 5 of the said Scheme, 2014.-*

(1) The words and figure "in FORM I" shall be added after the word 'dependent' used in third line of sub para (1) of para 5.

(2) The following sentence shall be added after the words "..... aforesaid payment." in fourth line of the proviso of sub para (1) of para 5.

"Remaining amount of compensation, if any, shall be paid within 3 months from the date of payment of second installment."

(3) Sub para(2) of para 5 shall be substituted by following:-

"(2). The District Criminal Injury Compensation Board of the district shall examine and verify the claims with regard to loss or injury, eligibility of claim/claimant, quantum of compensation and also about condonation of delay in reporting of the occurrence or filing of the claim and on its recommendation the Chairman, DLSA shall pass an order about claim/payment of compensation. The quantum of compensation shall be decided on taking into account the loss caused to victim, medical expenses to be incurred in treatment and minimum sustenance amount required for rehabilitation subject to minimum amount as mentioned in Schedule-1."

6. The following "Explanation" shall be added in the end of para 9 of the said scheme,2014:-

"Explanation.- It is hereby clarified that the Executive Chairman of Bihar State Legal Services Authority shall hear and pass orders in connection with such appeals."

7. The following para 9A shall be inserted after para 9 of the said scheme, 2014:-

"9A.To ensure financial accountability, internal audit shall be carried out by an independent auditor from a board of auditors appointment by CAG. In addition, statutory audit shall be carried out annually by the CAG. The reports and observation will be brought to the notice of the State Government."

8. *The following para 10A shall be inserted after para 10 of the said scheme, 2014.*-"10A. Information relating to all activities of the Bihar Victim Compensation Scheme along with the relevant FAQs will be uploaded on the website of the Department of Law, Government of Bihar."

9. The "schedule 1" of the said scheme, 2014 shall be substituted by the following.-

SCHEDULE-1

Sl No.	**Description of Injuries/Loss**		**Minimum Amount of Compensation**	**Maximum Amount of Compensation**
1.	Acid Attack	1. In case of disfigurement of face	Rs. 3 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
		2. In case of injury more than 50%	Rs. 3 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
		3. In case of injury less than 50% (other than disfigurement of face)	Rs. 3 Lakhs	Rs. 5 Lakhs

Sl No.	**Description of Injuries/Loss**		**Minimum Amount of Compensation**	**Maximum Amount of Compensation**
2.	Rape	1. Where victim is a minor or she is physically or mentally handicap	Rs. 3 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
		2. In other cases	Rs. 3 Lakhs	Rs. 5 Lakhs
3.	Physical abuse of minor		Rs. 2 Lakhs	Rs. 3 Lakhs
4.	Rehabilitation of victim of Human Trafficking		Rs. 1 Lakhs	Rs. 2 Lakhs
5.	Sexual assault (Excluding rape)		Rs. 50,000/-	Rs. 1 Lakhs
6.	Death		Rs.2 Lakhs	Rs.3 Lakhs
7.	Permanent Disability (80% or more)		Rs. 2 Lakhs	Rs. 4 Lakhs
8.	Partial Disablility (40% to 80%)		Rs. 1 Lakhs	Rs. 2 Lakhs
9.	Burns affecting greater than 25% of the body (Excluding Acid Attack cases)		Rs. 2 Lakhs	Rs. 4 Lakhs
10.	Loss of foetus		Rs. 50,000/-	Rs. 1 Lakhs
11.	Loss of fertility		Rs. 1.5 Lakhs	Rs. 2 Lakhs

Note:-

(1) If the victim is less than 14 years of age, the compensation shall be increased by 50% over the amount specified above.

(2) In acid attack cases where victim is a girl/woman who has lost her eyesight to the extent of 80% or more or her face has been permanently disfigured, and in rape cases where victim is blind or otherwise handicap and not in position to manage the lump sum amount, instead of a lump sum amount, the District Criminal Injury Compensation Board may recommend payment as compensation a fixed amount not above Rs. 10,000/- per month for the lifetime of the victim or for any other period as it deems appropriate. The final decision regarding this will be taken by the District Legal Services Authority.

10. The following 'FORM I' shall be added after the Schedule-1 of the said scheme, 2014:-

FORM-1

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER BIHAR VICTIM COMPENSATION SCHEME, 2014 FOR RELIEF

1.	Name of the Applicant Victim(s) or his/her/their Dependents(s)	
2.	Age of the Victim(s) or his/her/their Dependents(s)	
3.	(a) Father's Name (b) Mother's Name (c) Spouse's Name	
4.	Address of the Victim(s) or his/her/their Dependents(s)	

5.	Date and time of the Incident	
6.	Whether FIR has been lodged? If Yes, enclose Copy of FIR. If No, give status thereof.	
7.	Whether medical examination has been done? If Yes, enclose Medical Report/Death Certificate/P.M. Report.	
8.	Status of trial, if pending. If over, enclose copy of judgment and order on sentence.	
9.	Has the applicant been awarded any compensation by the trial court or any other Govt. agency. If yes give details.	
10.	Give details of financial expenditure/loss incurred	
11.	Have you instituted any civil suit/claim against the perpetrator of offence. If yes give details.	

Signature of the Victim/Dependent

By the order of the Governor of Bihar,
JITENDRA KUMAR,
Secretary In-charge, Law Department.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 669-571+600-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in